

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण/ पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.NO.	NAME	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRANSFERRED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	ANJU SHARMA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AMALSARA (216908)	BARAN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SUBHASH NAGAR -2 KOTA (216759)	KOTA	NO
2	ASHA KUMARI MEENA	जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, जिला जयपुर	JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHYAMPURA (218613)	JAIPUR	YES
3	ASHOK KUMAR MEENA	SETH BHURA MAL GANGWAL GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HASTERA GOVINDGARH (218445)	JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HEERA KA BAS (218497)	JAIPUR	NO
4	BINU MEHRA	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SAVITRI AJMER (221872)	AJMER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KOTDI (221492)	AJMER	NO
5	DAYA SHANKAR ASWAL	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TODI MANOHARPUR SHAHPURA JAIPUR (225004) TO GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL FATHEGARH (217803), ARNOD (08331410001) PRATAPGARH UNDER TRANSFER	PRATAPGARH	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BIDARA (218394)	JAIPUR	NO
6	GIRIRAJ KUMAR PAREEK	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHYAMPURA (218613)	JAIPUR	जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, जिला जयपुर	JAIPUR	NO
7	GOVIND NARAYAN PAREEK	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PREMPURA (219963)	NAGOUR	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KHATOLAI (469357)	JAIPUR	NO
8	JAYANTI SHARMA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DABLA CHANDA (214454)	BHILWARA	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KHATIPURA JHOTWADA JAIPUR (494075) (NEW RAISED)	JAIPUR	NO
9	LALU RAM RAIGER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADWA BASSI JAIPUR (218741)	JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AANTIYA (220989), CHOHTAN	BARMER	YES
10	LEELA SUTHAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KIKARWALI (211121)	HANUMANGARH	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NUKERA (211130)	HANUMANGARH	NO
11	PURUSHOTTAM GUPTA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAITOR (218985)	JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADWA BASSI JAIPUR (218741)	JAIPUR	YES
12	RACHANA TIWARI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHITAMBA (214541)	BHILWARA	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL VASUNDHRA COLONY (469237) (NEW RAISED)	JAIPUR	NO
13	RAGHUNATH VISHNOI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DATA (213712)	JALOR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SARNAU (213682)	JALOR	NO

S.NO.	NAME	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRANSFERRED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
14	RAKESH KUMAR PAREEK	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL DHANI KHANDA VIRATNAGAR (465538) JAIPUR TO GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PALAWALA JATAN (218719) JAIPUR UNDER TRANSFER	JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHORASHYAMDAS JALSU JAIPUR (218579)	JAIPUR	NO
15	RAMESHWAR DAYAL SHARMA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KACHUMARA (224402)	CHITTAURGARH	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAITOR (218985)	JAIPUR	NO
16	VIBHA SHARMA	SWAMI VIVEKANAND GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ZAWAR MINES (223263)	UDAIPUR	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL TELIPADA (413333) (NEW RAISED)	JAIPUR	NO

- 1 संबंधित अधिकारियों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- 2 जिन अधिकारियों का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 3 RVRES अधिकारियों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 4 राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- 5 उक्त आदेश में जिन विद्यालयों में उप प्राचार्य (पूर्व पदनाम प्रधानाध्यापक मावि) के पद स्वीकृत हैं, उन विद्यालयों में प्रधानाचार्य के कार्यग्रहण के पश्चात् कार्यरत प्रधानाध्यापक मावि जिनका स्थानान्तरण नहीं हुआ है, वे उप प्राचार्य के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगे।

*Ga*

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक - शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45005/स्थानान्तरण-पदस्थापन/2022

दिनांक - 18/09/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 5 परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 6 निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 7 संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवा कर पालना से अवगत करावे।
- 8 स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- 9 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- 10 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेशानुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/ कार्यमुक्त की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
- 11 संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावे।
- 12 संबंधित अधिकारी
- 13 रक्षित पत्रावली

*Ugr*

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.NO	NAME	EMP. ID	SUBJECT	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRANSFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	BHAVNA GOYAL	RJDA201713008523	HOME SCIENCE	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SIKANDRA (212990)	DAUSA	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL GALAV NAGAR (227048)	JAIPUR	NO
2	VIJAY GUPTA	RJSM200532001579	BIOLOGY	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LEDIYA (212675) TO MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MANDRAYAL (212707)	KARAULI	Office of the District Institute for Education and Training, District KARAULI	KARAULI	NO
3	MADHU KACHHAWA	RJSK199833018286	BIOLOGY	SHRIMATI NARBADA DEVI DANGAYACH GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BASSI JAIPUR (218758)	JAIPUR	SAHEED ASHOK KUMAR YADAV GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOPALPURA DEVRI (218949)	JAIPUR	NO
4	USHA AGARWAL	RJJP199718010177	BIOLOGY	SAHEED ASHOK KUMAR YADAV GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOPALPURA DEVRI (218949)	JAIPUR	SHRIMATI NARBADA DEVI DANGAYACH GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BASSI JAIPUR (218758)	JAIPUR	YES
5	ANKITA BHAMBU	RJBM201405022828	CHEMISTRY	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAHAWA (211542)	CHURU	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAHJUSAR (215388)	CHURU	NO
6	VINOD KUMAR	RJPA201329019225	BIOLOGY	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VALDARA (221092)	JALOR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KALANA (212407)	HANUMANGAR	NO

- संबंधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- जिन व्याख्याताओं का परिवर्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 'क' के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- यदि विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में नवपदस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक को संबंधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।

*Ga*

(गौरव अग्रवाल)

आई.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक - शिदिसा/मा/संस्था/सी-1/रजीम/स्थानान्तरण-पदस्थापन/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विश्विष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- विश्विष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डार्ट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावे।
- संबंधित व्याख्याता।
- संक्षिप्त पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक - 18/9/22

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

### --:कार्यालय आदेश--:

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता-अंग्रेजी (स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.NO.	NAME	EMP. ID	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRANSFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/D A
1	SEEMA BHATT	RJJP20071 7006945	SARDAR R SINGH MEMO. GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PALDI MEENA (218896) TO UNDER TRANSFER MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL NEAR SHYAM BAGICCHI MANPUR SIKARAI (212967)	DAUSA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMPURA RUPA TONK PHATAK JAIPUR (218953)	JAIPUR	NO
2	MAHESH KUMAR	RJGA2012 35015025	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SAYALA (213595)	JALOR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ANOOPGARH (212278), ANOOPGARH	GANGANAGAR	NO

- संबंधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- जिन व्याख्याताओं का परिदीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 'क' के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थान प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में नवपदस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक को संबंधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।

*Ga*

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/स्थानान्तरण-पदस्थापन/अंग्रेजी/22 दिनांक - 18/9/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (मुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावें।
- संबंधित व्याख्याता।
- रक्षित पत्रावली।

*Ba*

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.N O.	NAME	EMPLOYEE ID	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRANSFERED POSTING PLACE	DISTRICT
1	2	3	4	5	6	7
1	MAHI RAM BISHNOI	RJBI198409010773	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HANSASAR (211380)	BIKANER	GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL DESALSAR PUROHITAN (211410)	BIKANER
2	VINDHYESH CHATURVEDI	RJKA200526002959	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KARAU LI (212486) KARAU LI TO GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAIN RAHU GHAAT ROAD DARGAMA (212720) (UNDER TRANSFER)	KARAU LI	Office of the District Institute for Education and Training, District- KARAU LI	KARAU LI
3	RAM KUMAR TAAK	RJGA199935005496	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANAKSAR (212216)	GANGANAGAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHABAN (211115)	HANUMANG ARH
4	ANITA	RJGA201735004924	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL RAISINGHNAGAR (212195)	GANGANAGAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANAKSAR (212216)	GANGANAGAR

- संबंधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- जिन व्याख्याताओं का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्यरत होने की स्थिति में नवपदस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य को संबंधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।

*Ga*

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक - शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्थानान्तरण-पदस्थापन/2022

दिनांक - 18/9/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य ड्राईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही का
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण तत्काल अपडेट करावे।
- संबंधित व्याख्याता।
- रक्षित पत्रावली।

*Ba*

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

### --:कार्यालय आदेश--:

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता-भौतिक (स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.NO	NAME	EMP. ID	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRASFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	ASHOK KUMAR BANSAL	RJJP199218005643	RAJASTHAN GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAJAJ NAGAR JAIPUR (218950)	JAIPUR	SETH CHHAGAN LAL AGARWAL GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHANOTA (218389)	JAIPUR	YES
2	BHUPENDRA KUMAR PAREWA	RJJW201822017968	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMPURA RUPA TONK PHATAK JAIPUR (218953)-JAIPUR TO UNDER TRANSFER TO GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MATHANIYA (224642)-JHALAWAR	JHALAWAR	RAJASTHAN GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAJAJ NAGAR JAIPUR (218950)	JAIPUR	NO
3	CHETNA GAUR	RJSK201733005645	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BALOD CHHOTI (213138)	SIKAR	SMT. SHEELA JOSHI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAHAJ (217096)	BHARATPUR	NO
4	DEVENDRA SINGH SHEKHAWAT	RJBI201709009337	SETH MAHADEV PRASAD MANAKSYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANAKSAS JHUNJHUNU (216146)	JHUNJHUNU	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GANDHI CHOWK AMBER (213090)	JAIPUR	NO
5	LAVEDESH KUMAR	RJJP199417014115	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMPURA RUPA TONK PHATAK JAIPUR (218953) TO UNDER TRANSFER GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MATHANIYA (224642)- JHALAWAR	JHALAWAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMPURA RUPA TONK PHATAK JAIPUR (218953)	JAIPUR	NO
6	SHYAM BIR SINGH	RJDA199013006399	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GANDHI CHOWK AMBER (213090)	JAIPUR	SETH MAHADEV PRASAD MANAKSYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANAKSAS JHUNJHUNU (216146)	JHUNJHUNU	YES
7	VISHNU KUMAR SHARMA	RJBP199707004753	SMT. SHEELA JOSHI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAHAJ (217096)	BHARATPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BALOD CHHOTI (213138)	SIKAR	YES

- संबंधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- जिन व्याख्याताओं का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- RVRRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थान प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में नवपदस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक को संबंधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।

*Gaur*

(गौरव अग्रवाल)

आई.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक - शिबिरा/मा/संस्था/सी-1/बौगक/स्थानान्तरण-पदस्थापन/भौतिक/2022 दिनांक - 18/9/22

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशेष सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- विशेष सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावे।
- संबंधित व्याख्याता।
- रक्षित पत्रावली।

*13/9*  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.N.	NAME	EMP ID	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRASFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	DINESH KUMAR	RJPA2015 29016328	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NIMBOL (214041)	PALI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHIVPURA (214143)	PALI	NO
2	JITENDRA KUMAR JHALANI	RJJP1994 18003899	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SURADIYA (221663)	AJMER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GHINOI (218477)	JAIPUR	NO

- संबंधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जाये।
- जिन व्याख्याताओं का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये।
- RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- पद विरुद्ध बरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक कार्यरत होने की रिश्ति में नवपदस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर बरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक को संबंधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।

*Ga*

(गौरव अग्रवाल)

आई ए एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक - 18/9/22

क्रमांक - शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/स्थानान्तरण/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही का प्रब
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट कराये।
- संबंधित व्याख्याता।
- रक्षित पत्रावली

*Ba*

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## —:कार्यालय आदेश:—

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता-संस्कृत(स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.NO.	NAME	EMP. ID	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRASFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	GOPAL LAL SAINI	RJSR2008340 19919	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHEERA KI DHANI (463682)	JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHIRA (227156)	JAIPUR	NO
2	BANNA LAL BUNKAR	RJJP2011180 18457	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RASED (222560)	BHILWARA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANOHARPUR (218415)	JAIPUR	NO
3	RAMSINGH DADRWAL	RJJP2011180 17654	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANOHARPUR (218415)	JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHHAPARWADA (218831)	JAIPUR	YES

- 1 संबधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- 2 जिन व्याख्याताओं का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 3 RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।।
- 4 राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- 5 पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में नवपदस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक को संबधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।

*Ga*

(गौरव अग्रवाल)

आई.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/स्थानान्तरण-पदस्थापन/संस्कृत/2022

दिनांक

18/9/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 4 परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 संबधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 8 स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- 9 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- 10 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
- 11 संबधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावे।
- 12 संबधित व्याख्याता।
- 13 रक्षित पत्रावली

*Ba*

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

--:कार्यालय आदेश:-

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता-गणित (स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.NO.	NAME	EMP. ID	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRASFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	VIJAY SINGH HADA	RJKO1990 27007821	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MODAK STATION (216677)	KOTA	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BADI MAHARANI RAMPURA KOTA (216818)	KOTA	NO
2	POOJA RAO	RJKO2013 27002761	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BADI MAHARANI RAMPURA KOTA (216818)	KOTA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MODAK STATION (216677)	KOTA	YES
3	RAVINDER KUMAR	RJCT2016 11034481	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MIRJAWALA (211843)	GANGANAGAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ANOOPGARH (212278)	GANGANAGAR	YES
4	SHARDHANJALI	RJGA1994 35016078	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MIRJAWALA (211843) TO UNDER TRANSFER GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NAHARGARH (224322)	CHITTAURGARH	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MIRJAWALA (211843)	GANGANAGAR	NO

- संबंधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- जिन व्याख्याताओं का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में नवपदस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक को संबंधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।

*Ga*

(गौरव अग्रवाल)

आई.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक - शिविरा/मा/संस्था/सी-1/भौगक/स्थानान्तरण-पदस्थापन/गणित/2022 दिनांक - 18/9/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक /
- स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण /कार्यमुक्त की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावे।
- संबंधित व्याख्याता।
- रक्षित पत्रावली

*GA*

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**  
**कार्यालय आदेश**

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा), विषय – इतिहास एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं –

S. NO.	NAME	EM. ID	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRASFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	POOJA CHOUDHARY	RJJP2011180 17527	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL TODGARH (221692)	AJMER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HANSMahal (218743)	JAIPUR	NO
2	JYOTI KUMAWAT	RJBW200808 006719	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HANSMahal (218743)	JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL THIKARIYA (218225)	JAIPUR	NO

- संबंधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- जिन व्याख्याताओं का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में नवपदस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक को संबंधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।

*Ga*

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक – शिवा/मा/संस्था/सी-2/इति-वाणि/स्थानान्तरण-पदस्थापन/इतिहास/2022  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

दिनांक - 18/9/22

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों को कार्यग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावे।
- संबंधित व्याख्याता।
- रक्षित पत्रावली

*Bas*

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर


**कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर**  
**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/पदस्थापन/संशोधन कॉलम संख्या 7 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-

S. No.	Name	Employee ID	Subject	Present Posting Place		New Posting Place		TA/D A
				Name of School	District	Name of School	District	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CHELA RAM	RJNA199828 008346	SANSKRIT	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RIYANSHYAMDAS (219534)	NAGAUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MERTA ROAD (219526)	NAGAUR	NO
2	PARAS MAL JAIN	RJBW19910 8011600	Maths.	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL AMARWASI JHAZPUR (222610)	BHILWARA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL THITODA MAFI (222570)(08241000301)	BHILWARA	YES
3	SEEMA SRIVASTAV	RJBW19920 8006266	SANSKRIT	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GANDHINAGAR BHILWARA (222514) TO UNDER TRANSFER GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TAKHTPURA (500441)(08240812501)	BHILWARA	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BHOPALGANJ JAWAHAR NAGAR PANSAL ROAD BHILWARA (473160)	BHILWARA	NO
4	PREM LATA INANIYAN	RJNA201228 023257	Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BERATHAL KALAN (219992) TO UNDER TRNASFER GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL FIROD (220031)(08141009605)	NAGAUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SURAJNIYAWAS (500995)	NAGAUR	NO

उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीवीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष को उसके सम्बन्धित विषय के पद पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे। अन्य पद/विषय के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1961 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।


  
(राजेंद्र कुमार शर्मा)  
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा  
अजमेर संभाग अजमेर

क्रमांक :-संयु.निदे./स्कूल शिक्षा/अज/संस्था-4/स्थानान्तरण/2022/2312

दिनांक-18.09.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- संबन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
- संबन्धित कार्मिक .....
- रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा  
अजमेर संभाग अजमेर


**कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर**  
**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित बरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 7 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-

S. No.	Name	Employee ID	Subject	Present Posting Place		New Posting Place		TA/DA applicable
				Name of School	District	Name of School	District	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KRISHNA KANT SHARMA	RJBP201807035303	Hindi	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL NYOTHA (217272) UNDER TRANS. GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LILOTHI (217500)	DHAULPUR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BAI (474931)(08070706401)	BHARATPUR	NO
2	NEETU SHARMA	RJDA201813034121	English	SHAHEED RAMSWAROOP GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SALEMPUR THANA (212899) UNDER TRANS. SWATANTRTA SENANI NADAN SINGH GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KHANAKA (485799)	KARAUJI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ADARSH GAON DEEPPURA (212482)	KARAUJI	NO
3	YADRAM SHARMA	RJBP199507002779	English	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHEDI DEVI SINGH (217237) UNDER TRANS. GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UMREH (217528)	DHAULPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHATOTI (217245)	BHARATPUR	NO
4	MUKESH CHAND SHARMA	RJKA199126015872	Sanskrit	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MUNDARI (212553) TO UNDER TRANSFER GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BARULA (485593)(08090607503)	KARAUJI	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MAHOO IBRAHIMPUR (487119)	KARAUJI	NO
5	PINTU SAINI	RJKA201826035592	Sanskrit	SHAHID MOHAN SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MIJHORA (212715)	KARAUJI	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL AMAWARA(404104)	S.MADHOPUR	NO
6	DHARMENDR A KUMAR SHARMA	RJCT201811048949	Social Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BARPURA (224992) GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BANJARON KA PURA (437635)(08090201054)	KARAUJI	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL POUNCHHADI (487111)(08090200203)	KARAUJI	NO

उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्थानान्तरित बरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष को उसके सम्बन्धित विषय के पद पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे। अन्य पद/विषय के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरोपान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।


  
(साहब सिंह) 18/9/22  
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर

क्रमांक :-संनि/स्कूशि/भरत/संस्था-1/स्था0 व0310/2022/ 235

दिनांक- 18/09/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (सुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- संबन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
- संबन्धित कार्मिक .....
- रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर


**कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर**  
**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 7 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-

S.NO	Name	Employee ID	post	Present Posting Place		New Posting Place	District	TA/DA applicable
				Name of School/office	District	Name of School/ office		
2	3	4	5	6	7	8		
1	HARI RAM JATAV	RJBP200007001072	Assistant Administrative Officer	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL ROOPWAS (217428)	BHARATPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAROLI WEIR (217337)(08070713502)	BHARATPUR	NO

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों की अशरखः पालना सुनिश्चित करें :-

- 1 संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- 2 राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 3 राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।

  
(साहब सिंह) 18/9/22

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर

दिनांक- 18/09/2022

क्रमांक :- संनि / स्कूशि / फा.स्थाना.मन्त्रा. / 2022 / 1020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।


मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।

स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।

संबंधित कार्मिक .....

रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)  
भरतपुर संभाग भरतपुर

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/संगायोजन कॉलम संख्या 8 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद्वारा किया जाता है :-

S. No.	Name	Employee ID	Subject	Present Posting Place			New Posting Place		
				Name of School	District	Range	Name of School	District	Range
1	KARUNA TAK	RJKO201327000457	Maths	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KISHANPURA TAKIYA (216633)	KOTA	KOTA	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL AMARWASI JAHAZPUR (222610)	BHILWARA	AJMER
2	PRADEEP KUMAR JAIN	RJJP200118004568	English	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHAJHIRAMPURA (218014)	DAUSA	JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAREH MORI (211822)	DHAULPUR	BHARATPUR
3	RAJENDRA KUMAR	RJCR202012032561	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MALSI SAR (419971)	CHURU	CHURU	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANDA COLONY, ANOOPGARH (212262)	GANGANAGAR	BIKANER
4	PRIYANKA KUMARI MEENA	RJSK202033028993	Sanskrit	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL FATEHPURA, GOKUL KA BAS (219179)	SIKAR	CHURU	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MALVIYA NAGAR (218309)	JAIPUR	JAIPUR
5	RAKESH YADAV	RJBW201808027068	Sanskrit	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHARAMDHARI (221204)	PALI	PALI	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL JAITPURA (476347)	JAIPUR	JAIPUR

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीक्षणीय कर्मियों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक को उसके संबंधित विषय के पद पर ही कार्यग्रहण कराया जावे। अन्य पद के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वच्छता ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कर्मियों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कर्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कर्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यासंयोजन) से ग्रसित हो तो उक्त कर्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की स्थिति में नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं है।
- वरिष्ठ अध्यापक का मण्डल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्त तथा कार्यग्रहण के समय स्वच्छता से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व मण्डल की वरिष्ठता विलोपन की सहमति का शपथ-पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6 जारी कर) की कार्यवाही की जावे।
- नवीन स्थानान्तरित मण्डल में स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मिक का मण्डल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम-36 के परन्तुक 07 में अंकितानुसार नवीन मण्डल में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये मण्डल में कनिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अन्वयित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कर्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कर्मिक/निलम्बित कर्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- स्थानान्तरित कर्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरांत पदस्थापित कर्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कर्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

Ga  
(गौरव अग्रवाल)

आई.एस.  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 18/09/22

क्रमांक :- शिविस/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्थानान्तरण/वोल-2/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संबन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग कार्यालय/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- संबन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कर्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्त आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
- संबन्धित कर्मिक .....
- रक्षित पत्रावली।

Baz  
संयुक्त निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर


## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.08.2022 के द्वारा निम्न सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक एवं समकक्ष स्तर के कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश जारी किए गए थे, उक्त में संशोधन/स्थानान्तरण नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.NO	Name	EM. ID	Subject	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRANSFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA	संशोधन
1	BRIJMOHAN MODI	RJBI200109001451	Senior Assistant	Office of Joint Director, School Education, Bikaner Range, Bikaner	BIKANER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAMBALOO (211183)	BIKANER	NO	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAMBALOO (211183) में स्थानान्तरणधीन के स्थान पर Joint Director, School Education, Bikaner Range, Bikaner (Against AAO Post)

उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीवीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर
- स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी (अग्रेजी माध्यम)/राजकीय अग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

  
(राजकुमार शर्मा)


संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,  
बीकानेर संभाग, बीकानेर

दिनांक - 19.9.2022

क्रमांक :-संनि/स्कू.शि./बीका/संस्था/स्थानान्तरण/2022/109

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्ये डाइंट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
- संबंधित कार्मिक।
- रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,  
बीकानेर संभाग, बीकानेर

**कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु सम्भाग, चूरु**

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/संशोधन/पदस्थापन कॉलम संख्या 7 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-

S. No.	Name	Employee ID	Subject	Present Posting Place		New Posting Place		TA/DA
				Name of School	District	Name of School	District	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DEEN DAYAL	RJSK1998 33001745	Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BOSANA (213244) To GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PIPLODA KA BAS (502106) Under Transfer	SIKAR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL FAKIRPURA (488057)	SIKAR	NO
2	ANITA KUMARI	RJBM201 20503046 0	Mathematics	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AJARI KHURD (505029)	JHUNJHUN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAMRATHPURA (219167)	SIKAR	NO

उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परिवीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष को उसके सम्बन्धित विषय के पद पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे। अन्य पद/विषय के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

18/9/22  
(पितराम सिंह)

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)  
चूरु सम्भाग, चूरु

क्रमांक : संनि/स्कूल शिक्षा/चूरु/संस्था-ब/फा.स्थानान्तरण/2022/514-15

दिनांक : 18.09.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- संबन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
- संबन्धित कार्मिक .....
- रक्षित पत्रावली।

18/9/22  
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)  
चूरु सम्भाग, चूरु

**कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर**

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/संशोधन/पदस्थापन कॉलम संख्या 7 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-

S. No.	Employee ID	Name of Person	Subject	Present Posting Place		New Posting Place		TA/DA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RJJP198918 001268	SHANKAR LAL SHARMA	General	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL ROOP PURA (473120) (08120810301)	TUNGA, JAIPUR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL TEELAWALA BRIJPURI JAGATPURA JAIPUR (404087) (08122704709)	SANGANER CITY, JAIPUR	NO
2	RJBU20081 0053171	ANUPAMA SHARMA	Mathemat ics	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NEEMLA (218677) (08120715501)	ANDHI, JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADODIA BASTI JAIPUR (218930) (08122602507)	JAIPUR WEST, JAIPUR	NO
3	RJJP201118 023432	SARIKA SHRIVAS	Mathemat ics	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADODIA BASTI JAIPUR (218930) (08122602507)	JAIPUR WEST, JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NEEMLA (218677) (08120715501)	ANDHI, JAIPUR	YES
4	RJJP199818 009413	KAMLESH CHANDRA MEENA	PET (II Gr.)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHANIYA AGRA ROAD JAIPUR (218895) (08122506303)	JAIPUR EAST, JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GARUDWASI (218283) (08121318805)	KOTKHAWA DA, JAIPUR	YES
5	RJJP200418 003382	MANOJ KUMAR	PET (II Gr.)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MEENAWALA (219004) (08122801610)	JHOTWARA CITY, JAIPUR	SETH BHURA MAL GANGWAL GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HASTERA GOVINDGARH (218445) (08120404317)	GOVINDGAR H, JAIPUR	YES
6	RJDA20161 3012160	SUNIL KUMAR VERMA	PET (II Gr.)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GARUDWASI (218283) (08121318805)	KOTKHAW ADA, JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHANIYA AGRA ROAD JAIPUR (218895) (08122506303)	JAIPUR EAST, JAIPUR	NO
7	RJJP199718 010275	DAYANAND TIWARI	Sanskrit	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHYOPUR (218982) (08122703801)	SANGANER CITY, JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHIRAWATA (405501) (08121019001)	SAMBHAR LAKE, JAIPUR	YES
8	RJJP199317 012496	KAMLA JAKHAR	Sanskrit	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MALVIYA NAGAR (218309) (08122505303)	JAIPUR EAST, JAIPUR	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL PANCHUDALA PAOTA (469180) (08123003103)	PAOTA, JAIPUR	YES
9	RJKA20182 6003144	NEHA GOYAL	Sanskrit	Under Transfer GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL GAJIPUR (212924) (08110409803) to GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANPURIA DAUSA (218044) (08110606904)	NANGAL RAJAWATA N, DAUSA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHYOPUR (218982) (08122703801)	SANGANER CITY, JAIPUR	NO
10	RJJP199618 013191	PUSPENDRA SINGH RATHORE	Sanskrit	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL JAIPURA (476347) (08120404701)	GOVINDGA RH, JAIPUR	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL GGUPS TIGARIYA (495301) NEW RAISE	GOVINDGAR H, JAIPUR	YES
11	RJBI201809 046949	RENU BALA	Sanskrit	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHIWADI (215063) (08060600103)	TIZARA, ALWAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHIDARPUR (215088) (08060609502)	TIZARA, ALWAR	YES
12	RJJP199618 026230	RENU BALA SHARMA	Sanskrit	Undertransfer GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VISHISHT NVD BALMANDIR (227261) to GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL TEHLA (216445)	RAJGARH, ALWAR	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL TELIPADA (413333) (08122507406) NEW RAISE	JAIPUR EAST, JAIPUR	NO
13	RJAL20200 2028975	SUNITA	Sanskrit	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NASOPUR (215041) (08060503601)	KOTKASIM, ALWAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHIWADI (215063) (08060600103)	TIZARA, ALWAR	NO
14	RJJP200518 021281	CHETNA RAJORA	Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JODLA ROAD NO.14 (469274) (08122800303)	JHOTWARA CITY, JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KESHUPURA (218972) (08122703332)	SANGANER CITY, JAIPUR	NO
15	RJJP201218 037756	DIMPLE JAIN	Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KESHUPURA (218972) (08122703332)	SANGANER CITY, JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHAMANA (218837) (08121015804)	MAUZAMAB AD, JAIPUR	NO
16	RJJP200518 018028	RAM KUMAR SAINI	Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SODALA JAIPUR (218943) (08122603017)	JAIPUR WEST, JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAKHOPUR (225441) (08060608901)	TIZARA, ALWAR	YES

*(Signature)*

17	RJJP199718 014027	RESHU KAPOOR	Science	Under Transfer GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAHADGANJ (218904) (08122507016) to GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KALWAN (212971) (08110507204)	SIKRAI, DAUSA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SODALA JAIPUR (218943) (08122603017)	JAIPUR WEST, JAIPUR	NO
18	RJAJ20130 1001935	SURABHI	Social Science	Under Transfer GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAKSU WARD NO 14 (218299) (08121330205) to GOVT UPS MEERA PURA FARM (505364) (08123001102)	PAOTA, JAIPUR	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL LBS COLONY WARD NO 13 CHAKSU JAIPUR (494068) (08121330202) NEW RAISE	CHAKSU, JAIPUR	NO

उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावें :-

- 1 उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीवीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 2 स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष को उसके सम्बन्धित विषय के पद पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे। अन्य पद/विषय के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 3 राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 4 यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैन्सर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 5 TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 6 राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- 7 स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 8 उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए।

(सुभाष चन्द्र यादव)  
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
जयपुर सम्भाग, जयपुर

दिनांक- 18-09-2022

क्रमांक :- संनि/स्कूशि/जय/संस्था-2/फा-72/स्थानान्तरण/2022/35

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 6 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 7 स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 8 संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें।
- 9 संबंधित कार्मिक .....।
- 10 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
जयपुर सम्भाग, जयपुर